

an>

Title: Introduction of the Compulsory Teaching of Yoga in Educational Institutions Bill, 2014.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, मैं पूस्ताव करता हूँ कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में योग के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of yoga in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।